



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2997]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 25, 2017/कार्तिक 3, 1939

No. 2997]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2017/KARTIKA 3, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3422(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना (छठा संशोधन) आदेश, 2017 है।
- (2) यह 29 अक्टूबर, 2017 को प्रवृत्त होगा;

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना आदेश, 2016 के खंड 3 के उप-खंड (2) में, मद संख्या (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(ii) चीनी के संबंध में 28 अप्रैल, 2018 तक की अवधि के लिए।”

[फा. सं. एस-10/4/2017-ईसीआरएंडई]

पी. वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात उसमें—का.आ. सं. 3341(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2016 ; का.आ. सं. 1288(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2017 और का.आ. सं. 1600(अ), तारीख 17 मई, 2017, का.आ. सं. 2785(अ) तारीख 25 अगस्त, 2017, का.आ. सं. 3136(अ) तारीख 27 सितंबर, 2017 तथा का.आ. सं. 3397(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****ORDER**

New Delhi, the 25th October, 2017

S.O. 3422(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Sixth Amendment) Order, 2017.

(2) It shall come into force on the 29th day of the October, 2017.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—

“(ii) sugar, for a period upto 28th April, 2018;”.

[F. No. S-10/4/2017-ECR&E]

P. V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017 and S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O. 2785(E), dated the 25th August, 2017, S.O. No. 3136(E), dated the 27th September, 2017 and S.O. No. 3397(E), dated the 23rd October, 2017.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2017.10.25 19:57:47
+05'30'